(48)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प /सर्किटकोर्ट रीवा

R.2509-III/14

Rs.20/-

425
31.7.14

संकर्षण प्रसाद पटेल पिता स्व0 श्री विधाता प्रसाद पटेल उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम गुदवा, तहसील-मनगवां, जिला रीवा (म0प्र0) -------- अपीलान्ट

बनाम्

शासन म0प्र0 ---- अनावेदक/रेस्पान्डेन्ट

श्री राजेशप्रसादपटेल .एड के द्वारा आज दिनांक 31-7-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2515
~~रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा~~ आज दिनांक ______ को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर,

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 429/अपील/2013-2014 आदेश दि. 26/7/2014

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0।

अपील के संक्षिप्त सार निम्न है.-

(अ) यह कि आराजी नम्बर 1258 रकवा 1.45 एकड़, भूमि स्थित मौजा गुदवा विधाता प्रसाद पटेल पिता स्व0 पृथ्वी प्रसाद पटेल निवासी ग्राम गुदवा तहसील मनगवां जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा वर्ष 1954-55 में मानधारी काछी से बेची के रूप में क्रय किये थे। तब से उक्त भूमि के पूरे रकवे पर अपीलान्ट के पिता स्व0 विधाता प्रसाद पटेल एवं उसके पश्चात संकर्षण पटेल पूरे रकवे में काबिज करते चले आ रहे है।

... वर्ष 1958-59 खाता नं0 83 आराजी नं0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0—R.2509—III/14 जिला—रीवा

संकर्षण प्रसाद पटेल/शासन (म0प्र0)

(1)	(2)	(3)
21.03.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	